

लक्ष्मीनारायण काय गीयत
150/2024

2/8/24

प्राथमिकी के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण व रामसहाय
द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत प्राथमिकी
उक्त प्राथमिकी के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण व रामसहाय
द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत प्राथमिकी
उक्त प्राथमिकी के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण व रामसहाय
द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत प्राथमिकी
उक्त प्राथमिकी के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण व रामसहाय
द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत प्राथमिकी
उक्त प्राथमिकी के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण व रामसहाय
द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत प्राथमिकी

उपस्थित अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



Reads
2/8/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 150/2024

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसहाय

कानाराम पुत्र रामसहाय

मालाराम पुत्र रामसहाय

समस्त जाति माली निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

गोपाल लाल शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा

गनगराम शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा

जाति बागडा ब्राहमण निवासी 28 मावावाली ढाणी, ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

दनलाल पुत्र मथूरालाल जाति महाजन निवासी ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वर,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि

कि आज प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त शीर्षकीय वाद पत्र बाबत आई निषेधाज्ञा का टोस व सुदृढ तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता प्राप्ति की पूर्ण आशा है।

कि प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 348/639 रकबा 0.04 है, खसरा न0 349 रकबा 0.19 है, खसरा न0 350 रकबा 0.31 है, खसरा न0 351 रकबा 0.53 है, खसरा न0 352 रकबा 0.17 है, खसरा न0 353 रकबा 0.01 है, खसरा न0 354 रकबा 0.40 है, खसरा न0 355 रकबा 0.41 है, खसरा न0 356 रकबा 0.52 है, खसरा न0 357 रकबा 0.47 है, खसरा न0 358 रकबा 0.09 है, खसरा न0 359/640 रकबा 0.30 है, खसरा न0 360 रकबा 0.21 है, कुल

कानाराम



2/8/24